फर्द अहकाम

डिम्पल यादव बनाम राजस्थान सरकार

र्थना पत्र संख्या: 506/2025

म ख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू.अभि.नि क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि खसर नम्बर 2358, 6508/2352, 6509/2357, 6510/2359 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7700 है0 जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2–1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि दिनांक 20.11.2007 को जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 910 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया तत्पश्चात उक्त भूमि के विभाजन से नये नम्बर बने जिनका नामान्तकरण संख्या 922 दिनांक 09.01.2008 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया और विभाजन अनुसार ही राजस्व नक्शे में तरमीम की जानी थी। प्रार्थीगण के हिस्से की उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर तरमीम करते समय राजस्व नक्शे में त्रुटिवश कम क्षेत्रफल अंकित कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण की जमीन करीब 0.12 है0 भूमि नक्शे में कम दर्शित हो गई है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण नक्शे की दुरूस्ती से सम्बंधित है जिसमें तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट ली गई। जिसमें तहसीलदार सांगानेर ने कथन किया है कि ग्राम वाटिका के खात संख्या 376 में खसरा नम्बरान 2358, 6508/2352, 6509/2357, 6510/2359 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7700 है0 की खतेदादी डिम्पल यादव पत्नी प्रशान्त यादव निवासी जयपुर हि0 1/2 व मंजू गॉधी पत्नी राकेश गॉधी हि0 1/2 निवासी गाजियाबाद खातेदार दर्ज है। खसरा नमबर 6508/2352, 6509/2357, 6510/2348, 6507/2348, 6505/2352, 6506/2357, 2358, 2349, 2352, 2357 की ऑनलाईन नक्शा में रकबा बरारी व आनुपातिक औसत वाद अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित होगा, खसरा नम्बरान में रकबा बरारी व आनुपातिक अनुसार ऑनलाईन नक्शे में भिन्ना है बहस वकील प्रार्थी व तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त मोका रिपोर्ट व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि जिनका नामान्तकरण संख्या 922 दिनांक 09.01.2008 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया और विभाजन अनुसार ही राजस्व नक्शे में तरमीम की जानी थी। प्रार्थीगण के हिस्से की उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर तरमीम करते समय राजस्व नक्शे में त्रुटिवश कम क्षेत्रफल अंकित	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

डिम्पल यादव बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 506/2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27.08.2025	कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण की जमीन करीब 0.12 है0 भूमि नक्शे में कम दर्शित हो गई है ऐसी स्थिति में विभाअन अनुसार एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को वादग्रस्त आराजीयात में विभाजन आदेश एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण (सांगानेर)